[2019] 4 एस. सी. आर. 469

दिल्ली विकास प्राधिकरण

बनाम

विरेंद्र लाल बहरी एवं अन्य।

(2016 की एसएलपी (सी) संख्या 37375)

फरवरी 27,2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे जे.]

प्रावधान- भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013:

धारा 24 परंतुक -क्या धारा 24 का परंतुक धारा 24(1)(ख) या धारा 24(2) प्रावधान को नियंत्रित करता है। न्यायालय ने मानाः 24 (1)(ख) को नियंत्रित करता है, धारा 24(2) को नहीं। हालाँकि इस प्रश्न को बड़ी पीठ को भेजा जाता है।

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए

न्यायालय ने मानाः 1. धारा 24 (1) और (2) भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 विभिन्न विषयों से संबंधित है। धारा 24 (1) मुआवजे से संबंधित है जबकि धारा 24 (2) अधिग्रहण की समाप्ति से संबंधित है। इसके कई ठोस कारण हैं क धारा 24 का परंतुक धारा 24 (1) ((ख) को नियंत्रित करता है, धारा 24 (2) को नहीं। [पैरा-9] [480-सी, डी]

2.1 सबसे पहले, धारा 24 (1) की योजना है जहां धारा 4 के तहत एक निरस्त क़ानून के तहत अधिसूचना जारी की गई है, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे में वृद्धि उन मामलों में भी की गई है । यह धारा 24 (1) (ए) के पढ़ने से स्पष्ट होता है। धारा 24 (1) (बी) में आगे कहा गया है कि जहां 01.01.2014 से पहले निरस्त अधिनियम के तहत कोई पंचाट दिया गया है, तो मुआवजा और निरस्त अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान ऐसे पंचाट पर लागू होते रहेंगे। इसके

लिए, परंतुक द्वारा एक अपवाद बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में भी जहां अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो धारा 4 अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार होंगे। इस प्रकार पढ़ें, परंतुक धारा का एक अपवाद है। 24 (1) (ख) ऐसे मामलों में जहां धारा 4 अधिसूचना में कई भूमि जोतों को शामिल किया गया है, जिनमें से अधिकांश में अभी तक मुआवजा जमा नहीं किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट करता है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, 2013 अधिनियम के अधिक लाभकारी प्रावधान लागू होने चाहिए। इस प्रकार पढ़ें, अधिनियम के प्रावधान और धारा 24 (1) (बी) के बीच कोई विसंगति या विरोध नहीं है। [पैरा 10] [480-डी-जी]

2.2 यदि, दूसरी ओर, परंतुक को धारा 24 (2) के परंतुक के रूप में पढ़ा जाता है, तो कई विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले, धारा 24 की उप-धारा (2) के लागू होने के लिए, अधिनियम का प्रारंभ की धारा 11, 1894 अधिनियम के तहत award पांच साल या उससे अधिक समय पहले दिया जाना चाहिए था।; और (ii) भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। [पैरा 11] [480-एच; 481-ए-सी]

3. दूसरा, यदि धारा 24 (2) के प्रावधान के रूप में पढ़ा जाता है, तो मनमाने परिणाम सामने आएंगे, जिससे प्रावधान मनमाना हो जाएगा, और इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निरस्त किया जा सकता है। [पैरा 12] [483-डी]

4. तीसरा, यदि विपरीत मामला लिया जाता है जहां एक ही धारा 4 द्वारा कवर की गई बड़ी संख्या में भूमि के संबंध में एक पंचाट दिया जाता है। अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में अधिसूचना और मुआवजा जमा कर दिया गया है। तब क्या यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामले में लैपिंग होगी क्योंकि ऐसे मामले में परंतुक लागू नहीं होगा? जाहिर है, इसलिए, क्या मुआवजे में अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा किया गया है या नहीं किया गया है, इसका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पूरी तरह से स्वतंत्र प्रावधान, अर्थात् धारा 24 (2) के तहत व्यपगत होता है या नहीं। [पैरा 13] [483-जी, एच; 484-ए]

5. चौथा, परंतुक की भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह दो कारणों से धारा 24 (2) में बताए गए पंचाट का उल्लेख नहीं करती है। पहला, परंतुक में "एक पंचाट दिया गया है" अभिव्यक्ति को

"ऐसा पंचाट दिया गया है" के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, "एक पंचाट" शब्द "पांच साल या उससे अधिक समय पहले" बनाया जा रहा है। इस अधिनियम का प्रारंभ परंतुक में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। इन शब्दों को पढ़ने से, जब विधायिका ने उन्हें नहीं जोड़ने का फैसला किया है, तो शाब्दिक भाषा के लिए हिंसा होगी। और परंतुक का स्पष्ट अर्थ। तथापि, यदि परंतुक को पढ़ा जाता है। धारा 24 (1) (बी) के प्रावधान के रूप में, यह धारा 11 के तहत दिए गए सभी पंचाट के साथ पूरी तरह से संगत होगा, चाहे वह 2013 अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल के भीतर या उससे अधिक हो। [पैरा 14] [484-बी, सी]

6. 2013 का अधिनियम एक लाभकारी विधान है। प्रस्तावना उस वस्तु पर प्रकाश डालती है जिसे अधिनियम द्वारा अधीन करने की मांग की गई थी । सामान्य, साथ ही धारा 24 द्वारा। भूमि अधिग्रहण मानवीय तरीके से होना चाहिए, जिसमें भूमि के मालिकों को कम से कम परेशानी हो, और साथ ही, प्रभावित व्यक्तियों को न्यायसंगत और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। प्रस्तावना के आलोक में देखे जाने पर, इस कानून को एक लाभकारी कानून होने के नाते, इस तरह से समझा जाना चाहिए जो इसके उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। इसलिए, इस धारणा पर कि दो विचार संभव हैं, वह दृष्टिकोण जो कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभकारी उद्देश्य के अनुरूप है, स्पष्ट रूप से पसंदीदा दृष्टिकोण है। [पैरा 15] [484-डी-एफ]

7. हालाँकि, इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में निर्णय के बाद से जो उसी के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करता है प्रावधान, अर्थात्, 2013 अधिनियम की धारा 24 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया है, यह बेहतर है कि वर्तमान निर्णय को भी उसी पीठ को भेजा जाए जो इंदौर विकास प्राधिकरण मामले की नए सिरे से सुनवाई कर रही है। [पैरा 17] [486-बी, सी]

डी. डी. ए. बनाम सुखबीर सिंह (2016) 16 धारा सी. सी. 258-पर माना गया।

डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य **(2017) 15 एससीसी 133**: **[2017] 7 एससीआर 924**; दिल्ली मेट्रो रेल निगम बनाम तरुण पाल सिंह **(2018) 14 एससीसी 161**; द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ **(1976) 1 एससीसी 128: [1976] 1 एस. सी. आर. 277;**सुंदरम पिल्लई बनाम आर. पट्टाबीरमन **(1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एससीआर 643**; जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कारखानों और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक **(1996) 6 एससीसी सी. 665: [1996] 6 पूरक। एससीआर 798**; एरा

(डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ के माध्यम से) बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य **(2017) 15 एससीसी 133: [2017] 7 एससीआर. 924**; श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य **(2015) 3 एससीसी 353: [2014] 7 एससीआर 799;** दिल्ली मेट्रो रेल निगम बनाम तरुण पाल सिंह **(2018) 14 एससीआर161**; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र **(2018) 3 एससीसी 412 : [2018] 2 एससीआर** 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 7 एससीआर 924----------संदर्भित किया गया है---- पैरा 2
[2018] 14 एससीसी 161----------संदर्भित किया गया है------पैरा 2
[2016] 16 एससीसी 258----------उस पर भरोसा करें-------- पैरा 7
[1976] 1 एससीआर 277--------- संदर्भित किया गया है----- पैरा 11
[1985] 2 एससीआर 643----------संदर्भित किया गया है------ पैरा 11
[1996] 6 पूरक। एससीआर 798- संदर्भित किया गया है----- पैरा 11
[2017] 7 धारा सी. आर 924--------संदर्भित किया गया है----- पैरा 15
[2014] 7 एससीआर 799----------संदर्भित किया गया है------ पैरा 16
(2018) 14 एससीसी 161---------- संदर्भित किया गया है ----- पैरा 16
[2018] 2 एससीआर 1---------- संदर्भित किया गया है---- पैरा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिक (सिविल) सं. 37375, 2016

दिल्ली उच्च न्यायालय के 23.02.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 6357 के साथ 2016 का एस एल. पी. (सिविल) No.37372, सिविल में 2017 का एम. ए. No.142 2016 की सिविल अपील में 2016 की अपील No.12247,2016 की सिविल अपील में 2017 की MA No.1787,2016 की सिविल अपील में 2017 की MA No.1786,2017 की सिविल अपील में 2018 की MA No.45।

सुश्री गरिमा प्रसाद, अश्विनी कुमार, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

धरम वीर खत्री, मंसूर अली, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सिद्धार्थ बत्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ।

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. मामलों का यह समूह इस बात से संबंधित है कि क्या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ["2013 अधिनियम"] की धारा 24 में निहित प्रावधान धारा 24(1)(बी) का प्रावधान है) या क्या यह धारा 24(2) का प्रावधान है । इस भ्रम का कारण 2013 अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के प्रावधान को रखा जाना है। यह एक ऐसा मामला है जहां पुरानी ब्रिटिश कहावत दिमाग में आती है:

"मैं संसद का ड्राफ्ट्समैन हूं, मैं देश के कानून बनाता हूं, और आधे मुकदमे का कारण निस्संदेह मैं हूं!"[i]

2. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.05.2015 के एक फैसले में, तरुण पाल सिंह बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली एनसीटी सरकार और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) 8596/2014 ["तरुण पाल सिंह"], यह माना गया था कि उक्त परंतुक धारा 24(1)(बी) को नियंत्रित करेगा , न कि धारा 24(2) को । इस निर्णय का उसी उच्च न्यायालय के कई अन्य निर्णयों में पालन किया गया । तरूण पाल सिंह (सुप्रा) और उसके बाद आए सभी फैसले, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के एक फैसले से, अर्थात्, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाम तरुण पाल सिंह, (2018) 14 एससीसी 161 ["दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन"], इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह विचार किया है कि धारा 24 का प्रावधान धारा 24(2) को नियंत्रित करता है न कि धारा 24(1)(बी) को । इस निर्णय के परिणामस्वरूप, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तरूण पाल सिंह (सुप्रा) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य निर्णय और उसके बाद आए सभी निर्णयों को उलटफेर करना पड़ेगा।

3. हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता का तर्क है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (सुप्रा) के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उनके अनुसार, यदि धारा 24 का प्रावधान धारा 24(2) को नियंत्रित करता है न कि धारा 24(1)(बी) को , तो व्यपगत का एक मूल्यवान अधिकार छीन लिया जाएगा और साथ ही, विभिन्न प्रतिकूलताएं और विसंगतियां उत्पन्न होंगी। डीडीए की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र शरण

के अनुसार, इस न्यायालय के हालिया फैसले से परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने कानून की सही ढंग से सराहना की है और बहुत विस्तार से बताया है।

4. विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद में प्रवेश करने से पहले, कुछ अन्य प्रावधानों के साथ धारा 24 की सेटिंग को पहले देखा जाना चाहिए। धारा 24 2013 अधिनियम के एक भाग के रूप में आती है। यह अधिनियम 2013 अधिनियम की धारा 114 द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 ["1894 अधिनियम"] को निरस्त करता है , जो इस प्रकार है:

"114. निरसन और व्यावृत्तियाँ–(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 (1894 का 1) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। (2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, उप-धारा (1) के तहत निरसन को प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा। निरसन का।

5. उद्देश्यों और कारणों के एक लंबे विवरण में, यह कहा गया है कि 1894 का अधिनियम कुछ मुद्दों को संबोधित करने में अपर्याप्त पाया गया है, और इसलिए, इसे एक अद्यतन उपाय द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। वस्तुओं और कारणों के कथन का अनुच्छेद 18 प्रासंगिक है, और इस प्रकार है:

"उद्देश्यों और कारणों का कथन"

18. नए कानून के तहत लाभ भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के उन सभी मामलों में उपलब्ध होगा जहां पुरस्कार नहीं दिया गया है या भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

6. अधिनियम की प्रस्तावना भी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार है:

" संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन संस्थानों और ग्राम सभाओं के परामर्श से, औद्योगीकरण, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास और शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम, जिसमें कम से कम परेशानी हो । भूमि के मालिक और अन्य प्रभावित परिवार और उन प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करें जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है या ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य

अधिग्रहण का संचयी परिणाम यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बनें जिससे अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों में सुधार हो।" अधिनियम की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया समय की मांग बन गई है। यह दृष्टिकोण भूमि मालिकों को कम से कम परेशानी वाला होना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में अधिनियम की धारा 24 अधिनियमित की गई है। धारा 24 इस प्रकार है:

“24. 1894 के अधिनियम संख्या 1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया कुछ मामलों में समाप्त मानी जाएगी।–(1) इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 (1894 का 1) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के किसी भी मामले में),–

(ए) जहां उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे; या

(बी) जहां उक्त धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी , जैसे कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया है।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में , जहां उक्त धारा 11 के तहत एक पुरस्कार इसके शुरू होने से पांच साल या उससे अधिक पहले दिया गया है। अधिनियम लेकिन भूमि का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह चाहे, तो ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करेगी। इस अधिनियम के प्रावधान:

बशर्ते कि जहां एक पुरस्कार दिया गया है और अधिकांश भूमि जोत के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो, उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थियों को , इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का हकदार हो।"

7. यह देखा जाएगा कि धारा 24(1) एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है, विचार यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि 1894 अधिनियम को 2013 अधिनियम की धारा 114 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, फिर भी, कुछ परिस्थितियों में, मुआवजा दिया जाता है निरस्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं, बल्कि 2013 अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय है। वास्तव में, डीडीए

बनाम सुखबीर सिंह , (2016) 16 एससीसी 258 में, इस न्यायालय ने धारा 24 निर्धारित करने के बाद , उसमें निहित वैधानिक योजना इस प्रकार निर्धारित की:

"11। धारा 24(1) एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और उन स्थितियों को कवर करती है जहां या तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है , ऐसे मामले में मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 अधिनियम के अधिक लाभकारी प्रावधान लागू होंगे, या जहां एक पुरस्कार दिया जाएगा धारा 11 के तहत किया गया है , भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी जैसे कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया था।

12. धारा 24(1)(बी) में धारा 24(2) द्वारा एक महत्वपूर्ण अपवाद बनाया गया है । धारा 24(2) की आवश्यक सामग्री इस प्रकार हैं:

(ए) धारा 24(2) उप-धारा (1) को नुकसान के रास्ते से दूर रखते हुए एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है;

(बी) इसे लागू करने के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ;

(सी) इसके अलावा, धारा 11 के तहत एक पुरस्कार 2013 अधिनियम के शुरू होने से 5 साल या उससे अधिक पहले दिया जाना चाहिए था;

(डी) यदि भूमि पर भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है, या मुआवजा नहीं दिया गया है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए घातक है ;

(ई) यह कहते हुए मृत्यु की घोषणा की गई है कि उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा, और उपयुक्त सरकार, यदि चाहे तो, सांप और सीढ़ी के इस खेल को फिर से शुरू कर देगी।

13. इसलिए धारा 24(2) को पढ़ने पर जो तस्वीर उभरती है वह यह है कि यदि कोई पुरस्कार दिया गया है और अधिग्रहण को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम एक अवधि के लिए नहीं उठाए गए हैं तो राज्य के पास किसी नागरिक से उसकी संपत्ति जब्त करने का कोई व्यवसाय नहीं है। पांच वर्ष या उससे अधिक का. इन कदमों में भूमि का भौतिक कब्ज़ा लेना और मुआवजे का भुगतान शामिल है। विधायिका वास्तव में कार्यपालिका से यह कह रही है कि उन्हें अपना घर व्यवस्थित करना चाहिए था और पुरस्कार की घोषणा के बाद उचित समय के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करनी चाहिए थी। पांच साल की छूट दिए जाने के बाद भी ऐसा न करना विधायी सहनशीलता की सीमा को पार कर जाएगा, जिसके बाद पूरी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद पांच साल के भीतर अधिग्रहण की

कार्यवाही पूरी नहीं की जाती है तो यह धारा आकर्षित होती है। ऐसा या तो इसलिए हो सकता है क्योंकि भूमि का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है या पांच साल की उक्त अवधि के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। इस आशय का एक हल्का सा निवेदन कि "या" को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, दो कारणों से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। उप-धारा का स्पष्ट प्राकृतिक अर्थ विधायिका द्वारा सलाह दी गई भाषा को बदलने के लिए हमारे लिए किसी भी बेतुकेपन की ओर नहीं ले जाता है। दूसरे, अधिनियम का उद्देश्य, और विशेष रूप से धारा 24 , यह है कि यदि कोई पुरस्कार पांच साल या उससे अधिक के लिए दिया गया है, तो इस अवधि के भीतर कब्ज़ा ले लिया जाना चाहिए, अन्यथा वैधानिक रूप से यह माना जाता है कि बीच का संतुलन नागरिक का अपनी संपत्ति बनाए रखने का अधिकार और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसे ज़ब्त करने का राज्य का अधिकार इतना परेशान हो जाता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। वैकल्पिक रूप से, यदि इस अवधि के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो वैधानिक रूप से यह भी माना जाता है कि उपरोक्त शेष राशि गड़बड़ा जाती है ताकि ऐसी संपत्ति को अधिग्रहण से मुक्त किया जा सके।

8. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले ने, धारा 24 निर्धारित करने के बाद , पाया है:

“23. धारा 24 की उपधारा (2) में निहित एक गैर-अप्रत्याशित खंड द्वारा भी एक अपवाद बनाया गया है ; यह "उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद" से शुरू होता है। इस प्रकार, यह धारा 24(1) के प्रावधानों को भी निरस्त कर देगा। 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जिसमें 2013 अधिनियम के शुरू होने से पहले 5 साल या उससे अधिक के भीतर एक पुरस्कार दिया गया है, यदि भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो कहा गया है कार्यवाही व्यपगत मानी जाएगी। उप-धारा (2) का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जब पुरस्कार दिया गया है और, अधिकांश होल्डिंग्स के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा। हालाँकि, सभी लाभार्थी 2013 अधिनियम के तहत बढ़े हुए मुआवजे के हकदार होंगे। यह परंतुक आवश्यक रूप से केवल धारा 24 की उपधारा (2) का हिस्सा होना चाहिए । विधायी मंशा स्पष्ट है कि इसे धारा 24(2) के प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है , और अन्यथा भी अगर पढ़ा जाए तो यह धारा 24(1) के प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है। (बी), यह उक्त प्रावधान के प्रति प्रतिकूलता पैदा करेगा और धारा 24(1)(बी) के प्रावधान और धारा 24(2) का प्रावधान एक दूसरे के साथ पूरी तरह से असंगत हो जाएगा। यह एक घिसा-पिटा कानून है कि जो व्याख्या असंगति या प्रतिकूलता पैदा करती है, उससे बचा जाना चाहिए और परंतुक को

अधिनियमित धारा 24(2) का हिस्सा होना चाहिए। इसके निर्माण के मौलिक नियम के अनुसार, प्रावधानों में कोई विपरीत आशय उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे धारा 24(2) के भाग के रूप में न पढ़ा जाए । जैसा कि धारा 24(1)(बी) में प्रावधान है, यदि 1894 अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित किया गया है, तो उक्त अधिनियम की कार्यवाही जारी रहेगी जैसे कि इसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, जबकि धारा 24(2) पुरस्कार के मामले में चूक मानी जाती है। 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले 5 वर्ष या उससे अधिक समय बीत चुका है और कब्ज़ा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और अधिकांश भूमि जोत के संबंध में प्रावधान के अनुसार भूस्वामियों के खाते में मुआवजा जमा नहीं किया गया है। यदि 2013 अधिनियम के प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले पुरस्कार पारित किया गया है, तो अधिकांश हिस्सेदारी के संबंध में मुआवजा जमा करने में समय लगेगा, यही कारण है कि विधायिका ने पुरस्कार पारित करने में समय-अंतराल के आधार पर परिणामों में अंतर किया है। 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने में कुछ समय लगना तय है।

27. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम देखते हैं कि धारा 24(1) और 24(2) को संयुक्त रूप से और एकरूपता से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वे दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। धारा 24(1)(बी) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यदि पुरस्कार 1894 अधिनियम के तहत पारित किया गया है, तो सभी कार्यवाही इस तरह जारी रहेगी जैसे कि 1894 अधिनियम निरस्त नहीं किया गया है। धारा 24(1)(ए) 2013 अधिनियम के प्रावधान को केवल उस मामले में लागू करती है जहां पुरस्कार पारित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह एक संकेत देता है कि जब एक पुरस्कार पारित किया गया है, तो जाहिर तौर पर 1894 अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जानी है, उस हद तक उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही बच जाती है, और 2013 अधिनियम लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में, धारा 24(2) के तहत दिए गए मामलों को छोड़कर नए सिरे से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

29. हमने निर्णयों की श्रृंखला के आधार पर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रावधान से जुड़े परंतुक की विशेष रूप से इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि मुख्य प्रावधान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को सक्षम बनाया जा सके। यह परंतुक केवल उस मुख्य प्रावधान का अपवाद है जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, कोई अन्य नहीं। प्रावधान एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जो कार्रवाई का एक विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए मुख्य अधिनियम से कुछ लेता है, प्रावधान के अभाव में कार्रवाई का कौन सा तरीका अपनाया नहीं जा सकता था।

30. धारा 24(2) के साथ जोड़ा गया प्रावधान इंगित करता है कि यह ऐसी स्थिति के लिए एक अपवाद बनाता है जहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए, एक मामले को धारा 24(2) के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए यानी पुरस्कार 2013 अधिनियम के लागू होने से पांच साल या उससे अधिक पहले दिया गया हो।

31. धारा 24(2) का प्रावधान एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है, जहां जमा नहीं की गई अधिकांश जोत के मुआवजे के संबंध में भूस्वामियों को कम जोत की स्थिति का भुगतान किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राशि जमा होने की स्थिति में अधिकांश भूमि जोत के लिए अधिग्रहण बचा लिया जाता है। परंतुक द्वारा. वास्तव में यह प्रावधान उन भूमिधारकों को भी लाभ प्रदान करता है जिन्होंने 1894 अधिनियम के अनुसार मुआवजा प्राप्त किया है। इस प्रकार सभी भूमिधारकों को 2013 अधिनियम के तहत उच्च और उदार मुआवजे का लाभ मिलना है। यह स्थिति ऐसी है जहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी और बच जाएगी। परंतुक का उद्देश्य एवं उद्देश्य सभी भूमिधारकों को मुआवजे की गणना का लाभ देना एवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से बचाना है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रावधान को उचित रूप से धारा 24 की उप-धारा (2) के प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए और इसे 2013 अधिनियम की धारा 24(1)(बी) के प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

34. इस न्यायालय ने विशेष रूप से डीडीए बनाम सुखबीर सिंह [डीडीए बनाम सुखबीर सिंह, (2016) 16 एससीसी 258: (2017) 5 एससीसी (सिव) 779] में कहा कि धारा 24(2) का उद्देश्य राज्य को दंडित करना है यदि पुरस्कार पारित होने के पांच साल बीत जाने के बाद भी यह "निविदा देने या मुआवजे का भुगतान करने में देरी" कर रहा है, तो विशेष रूप से इस न्यायालय ने माना कि धारा 24(2) धारा 24(1)(बी) और धारा 24 के लिए एक अपवाद है। (2) लागू करने के लिए, धारा 11 के तहत पुरस्कार 2013 अधिनियम के शुरू होने से पांच साल या उससे अधिक पहले दिया जाना चाहिए।

35. कुछ भूस्वामियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनिल गोयल द्वारा अंत में आग्रह किया गया कि चूंकि लाभार्थियों के खाते में अधिकांश हिस्सेदारी के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है, इसलिए अधिग्रहण समाप्त हो गया है। . हमने माना है कि धारा 24(2) का प्रावधान तत्काल मामले में लागू नहीं होता है, वही लागू होता है जहां पुरस्कार 5 साल पहले पारित किया गया था। ऐसे मामले में जहां पुरस्कार 5 वर्षों के भीतर पारित किया गया है, धारा 24(2) का उक्त प्रावधान लागू नहीं कहा जा सकता है। परंतुक के आधार पर किया गया प्रस्तुतीकरण टिकाऊ नहीं कहा जा सकता।"

9. ध्यान देने योग्य पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 24(1) और (2) अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। धारा 24(1) मुआवजे से संबंधित है जबकि धारा 24(2) अधिग्रहण के व्यपगत होने से संबंधित है। इस बात के कई ठोस कारण हैं कि धारा में दिया गया प्रावधान वास्तव में धारा 24(1)(बी) का प्रावधान है , न कि धारा 24(2) का ।

10. सबसे पहले, धारा 24(1) की योजना 2013 अधिनियम के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करना है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां धारा 4 अधिसूचना एक निरस्त कानून, अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 के तहत की गई है , लेकिन जहां कोई पुरस्कार नहीं है 01.01.2014 को सुनाया गया है, जब 2013 अधिनियम लागू होता है। यह धारा 24(1)(ए) को पढ़ने से स्पष्ट है । धारा 24(1)(बी) में यह कहा गया है कि जहां 01.01.2014 से पहले निरस्त अधिनियम के तहत एक पुरस्कार दिया गया है, तो मुआवजा और निरस्त अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान ऐसे पुरस्कार पर लागू होते रहेंगे। इसके लिए, परंतुक द्वारा एक अपवाद बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में भी जहां अधिकांश भूमि जोत के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो धारा 4 अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार होगा। इस प्रकार पढ़ें, प्रावधान उन मामलों में धारा 24(1)(बी) का अपवाद है जहां धारा 4 की अधिसूचना में कई भूमि जोत शामिल हैं जिनमें से अधिकांश का मुआवजा अभी तक जमा नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से भुगतान किया गया है, 2013 अधिनियम के अधिक लाभकारी प्रावधान लागू होने चाहिए। इस प्रकार पढ़ें, परंतुक और अधिनियम की धारा 24(1)(बी) के बीच कोई असंगतता या प्रतिकूलता नहीं है।

11. दूसरी ओर, यदि परंतुक को धारा 24(2) के परंतुक के रूप में पढ़ा जाता है , तो कई विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले, जैसा कि **दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन** (सुप्रा) में सही ढंग से माना गया है, धारा 24 की उप-धारा (2) को लागू करने के लिए , (i) 1894 अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार पांच साल या उससे अधिक पहले दिया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रारंभ तक; और (ii) भूमि का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा मामला लें जहां पुरस्कार 01.01.2014 से छह साल पहले दिया गया हो, और भूमि का भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में अधिग्रहण व्यपगत माना जाता है। यदि प्रावधान धारा 24(2) पर लागू होता है, तो इसके बावजूद कि भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया गया है, फिर भी, कोई चूक नहीं होगी, जैसा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (सुप्रा) में हुआ है। यह इस न्यायालय के कई निर्णयों के विपरीत होगा जहां यह माना गया है कि किसी प्रावधान का उपयोग मुख्य अधिनियम में निहित मूल प्रावधान को रद्द करने या शून्य करने के लिए नहीं

किया जा सकता है। इस प्रकार, द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ , (1976) 1 एससीसी 128 में , इस न्यायालय ने कहा:

"18. हम वकील को निष्पक्षता से उल्लेख कर सकते हैं कि अन्य निर्णयों के अलावा, क़ानून में प्रावधानों के उपयोग पर बार में निम्नलिखित का हवाला दिया गया था: सीआईटी बनाम इंडो-मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड , [एआईआर 1959 एससी 713: 1959 सप्लिमेंट (2) एससीआर 256, 266 : (1959) 36 आईटीआर 1]; राम नारायण संस लिमिटेड बनाम सहायक । सीएसटी [एआईआर 1955 एससी 765: (1955) 2 एससीआर 483, 493: (1955) 6 एसटीसी 627]; थॉम्पसन बनाम डिबडिन [(1912) एसी 533, 541 : 81 एलजेकेबी 918 : 28 टीएलआर 490]; रेक्स बनाम डिबडिन [1910 प्रो डिवीजन 57, 119, 125] और तहसीलदार सिंह बनाम यूपी राज्य । [एआईआर 1959 एससी 1012: 1959 सप्लीमेंट (2) एससीआर 875, 893: 1959 सीआरआई एलजे 1231]। कानून घिसा-पिटा है. एक परंतुक अधिनियमित खंड की विषय-वस्तु तक ही सीमित होना चाहिए। यह निर्माण का एक स्थापित नियम है कि किसी परंतुक को प्रथम दृष्टया उस प्रमुख मामले के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका वह परंतुक है। यह कोई अलग या स्वतंत्र अधिनियम नहीं है। "शब्द उन प्रमुख अधिनियमित शब्दों पर निर्भर होते हैं जिनके साथ उन्हें एक प्रावधान के रूप में जोड़ा जाता है। उन्हें उनके संदर्भ से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता" (थॉम्पसन बनाम डिबडिन, 1912 एसी 533)। यदि निर्माण का नियम यह है कि प्रथम दृष्टया एक प्रावधान को अधिनियमित खंड के विषय-वस्तु तक अपने संचालन में सीमित किया जाना चाहिए, तो हमने जो रुख अपनाया है वह सही है। प्रावधान द्वारा बढ़ाए गए अधिनियमित खंड का विस्तार करने के लिए, निर्माण के मौलिक नियम के खिलाफ पाप किया जाता है कि एक प्रावधान को मुख्य मामले के संबंध में माना जाना चाहिए जिसके लिए यह एक प्रावधान के रूप में खड़ा है। एक परंतुक सामान्यतः एक परंतुक ही होता है, यद्यपि सुनहरा नियम यह है कि परंतुक सहित पूरे खंड को इस प्रकार पढ़ा जाए कि वे परस्पर एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और परिणामस्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण हो।

"उचित तरीका निर्माण के व्यापक सामान्य नियम को लागू करना है जो यह है कि एक खंड या अधिनियम को समग्र रूप से समझा जाना चाहिए, प्रत्येक भाग यदि आवश्यक हो तो बाकी हिस्सों पर प्रकाश डालता है।

निस्संदेह सच्चा सिद्धांत यह है कि कानून की ध्वनि व्याख्या और अर्थ, अधिनियमित खंड, बचत खंड और प्रावधान के दृष्टिकोण पर, एक साथ लिया और समझा जाता है, प्रबल होता है। (मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, 10वां संस्करण, पृ.

एस. सुंदरम पिल्लई बनाम वीआर पट्टाभिरामन , (1985) 1 एससीसी 591 में, इस न्यायालय ने कहा:

"27. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि किसी परंतुक का दायरा क्या है और किसी परंतुक या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के स्पष्टीकरण का दायरा क्या है। हम सबसे पहले परंतुक की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और विस्तार का प्रश्न उठाएंगे। किसी परंतुक की व्याख्या का सुस्थापित नियम यह है कि एक परंतुक के तीन अलग-अलग कार्य हो सकते हैं। आम तौर पर, एक प्रावधान का मतलब मुख्य अधिनियम के भीतर किसी चीज का अपवाद होना या उसमें अधिनियमित किसी चीज को योग्य बनाना है, जो प्रावधान के अलावा अधिनियम के दायरे में होगा। दूसरे शब्दों में, किसी प्रावधान को मुख्य अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उपयोग मुख्य अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को रद्द करने या शून्य करने के लिए किया जा सकता है। (जोर दिया गया) इसी तरह, **जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम फैक्ट्री और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक** , (1996) 6 एससीसी 665 में, इस न्यायालय ने पाया:

"33. किसी क़ानून में किसी प्रावधान के प्रावधान के कई कार्य होते हैं और क़ानून के प्रावधान की व्याख्या करते समय, अदालत को उस प्रावधान से जुड़े प्रावधान की सावधानीपूर्वक जांच करने और वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने की आवश्यकता होती है। किसी परंतुक की व्याख्या का यह उचित नियम नहीं है कि अधिनियमित भाग या खंड के मुख्य भाग को पहले प्रावधान के संदर्भ के बिना समझा जाए और यदि वह अस्पष्ट पाया जाता है तो ही परंतुक की जांच करने के लिए सहारा लिया जा सकता है। हमारे सामने प्रचारित किया गया है। दूसरी ओर व्याख्या का एक स्वीकृत नियम यह है कि एक खंड और उसके प्रावधान को समग्र रूप में समझा जाना चाहिए, प्रत्येक भाग, यदि आवश्यक हो, तो बाकी पर प्रकाश डालता है। सामान्य अधिनियम से विशेष मामलों को हटाने और उनके लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सामान्यतः एक प्रावधान का उपयोग किया जाता है।

34. एक परंतुक एक अपवाद प्रदान करके और मुख्य प्रावधान से एक भाग निकालकर मुख्य अधिनियम की व्यापकता को योग्य बनाता है, जो, परंतु परंतुक के अलावा, मुख्य प्रावधान का एक हिस्सा होगा। इसलिए, एक परंतुक पर उस मुख्य मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए वह एक परंतुक है। किसी प्रावधान को ऐसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वह मुख्य प्रावधान में कुछ जोड़कर ऐसा कुछ प्रदान कर रहा है जो मुख्य प्रावधान से अलग है।" (जोर दिया गया)

यह संभवतः अधिग्रहण की समाप्ति को दूर करने वाले प्रावधान का अनपेक्षित परिणाम नहीं हो सकता है, जहां प्रावधान का विषय भूमि के भौतिक कब्जे से पूरी तरह से असंबंधित है, लेकिन केवल मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित है।

12. दूसरे, यदि इसे धारा 24(2) के प्रावधान के रूप में पढ़ा जाता है , तो मनमाने परिणाम आएंगे, जिससे प्रावधान मनमाना हो जाएगा, और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत रद्द किया जा सकता है। धारा 4 अधिसूचना का मामला लें जो केवल एक ही मालिक वाली भूमि के एक टुकड़े पर लागू होती है। यदि धारा 24 की उपधारा (2) की शर्तें पूरी होती हैं तो अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, पड़ोसी भूमि के मामले में, जो एक ही मालिक की भूमि होती है, जो भूमि के बीस टुकड़ों में से एक है जिसे एक ही धारा 4 अधिसूचना के तहत अधिग्रहित किया गया है, यदि अधिकांश भूमि जोत के संबंध में मुआवजा दिया जाता है जमा नहीं किया गया है, तो ऐसा अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, लेकिन 2013 अधिनियम के तहत केवल उच्च मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। जाहिर है, किसी विशेष भूमि धारक का अधिग्रहण व्यपगत होना किसी आकस्मिकता पर निर्भर नहीं हो सकता है कि क्या उसकी भूमि अकेले अधिग्रहित की गई है या अन्य व्यक्तियों की भूमि के साथ संयोजन में अर्जित की गई है।

13. तीसरा, विपरीत मामले को लें जहां एक ही धारा 4 अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली बड़ी संख्या में भूमि के संबंध में एक पुरस्कार दिया गया है , और अधिकांश भूमि जोत के संबंध में मुआवजा जमा कर दिया गया है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामले में व्यपगत हो जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में प्रावधान लागू नहीं होगा?

जाहिर है, इसलिए, अधिकांश भूमि जोत के संबंध में मुआवजा जमा किया गया है या नहीं, इसका इस बात पर कोई असर नहीं होगा कि पूरी तरह से स्वतंत्र प्रावधान, अर्थात् धारा 24(2) के तहत लैप्सिंग होती है या नहीं ।

14. चौथा, प्रावधान की भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह दो कारणों से धारा 24(2) में बताए गए पुरस्कार का उल्लेख नहीं करता है। सबसे पहले, परंतुक में अभिव्यक्ति, "एक पुरस्कार दिया गया है" को "ऐसा पुरस्कार दिया गया है" के बराबर नहीं किया जा सकता है। साथ ही, "एक पुरस्कार" शब्द "इस अधिनियम के शुरू होने से पांच साल या उससे अधिक पहले" दिया जा रहा है, परंतुक में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। इन शब्दों को पढ़ना, जब विधायिका ने उन्हें न जोड़ने का फैसला किया है, प्रावधान की शाब्दिक भाषा और स्पष्ट अर्थ पर हिंसा होगी। हालाँकि, यदि परंतुक को धारा 24(1) (बी) के परंतुक के रूप में पढ़ा जाता है यह धारा 11 के तहत दिए गए सभी

पुरस्कारों के साथ पूरी तरह से संगत होगा , चाहे 2013 अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल के भीतर या उसके बाद, जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है।

15. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक लाभकारी कानून के साथ काम कर रहे हैं। जिस प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है वह उस उद्देश्य पर प्रकाश डालती है जिसे आम तौर पर 2013 के अधिनियम के साथ-साथ धारा 24 द्वारा भी शामिल किया जाना है । हम पहले ही देख चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण मानवीय ढंग से होना चाहिए, जिससे भूमि के मालिकों को कम से कम परेशानी हो और साथ ही प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा मिले। प्रस्तावना के आलोक में देखा जाए तो, यह कानून, एक लाभकारी कानून होने के नाते, इस तरह से समझा जाना चाहिए जो इसके उद्देश्य को आगे बढ़ाता है [देखें ईरा (डॉ. मंजुला क्रिपेनडोर्फ के माध्यम से) बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2017)) 15 एससीसी 133 पैराग्राफ 106, 128, 129, और 131 पर]। इसलिए, इस धारणा पर कि दो दृष्टिकोण संभव हैं, वह दृष्टिकोण जो कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभकारी उद्देश्य से मेल खाता है, स्पष्ट रूप से पसंदीदा दृष्टिकोण है।

16. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि श्री बालाजी नगर रेजिडेंशियल एसो. बनाम तमिलनाडु राज्य, (2015) 3 एससीसी 353, इस प्रकार आयोजित किया गया था:

“13. तमिलनाडु राज्य के विद्वान एएजी श्री सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह सुझाव दिया था कि प्रावधान राज्य के बचाव में आ सकता है और कार्यवाही को चूक से बचा सकता है यदि यह माना जाता है कि चूंकि एक पुरस्कार था जिसके कारण भुगतान करना पड़ा। केवल कुछ भूमि जोत के संबंध में मुआवजा, इसलिए सभी लाभार्थी अब 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार हो सकते हैं। यदि भूमि का भौतिक कब्ज़ा ले लिया गया होता तो इस विवाद पर कुछ अधिक गंभीरता से विचार किया जा सकता था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, केवल मुआवजे से संबंधित प्रावधान राज्य के लिए कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए, हमें प्रावधान के प्रभाव और निहितार्थों में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रथम दृष्टया ऐसे मामले में सभी भूमिधारकों के लाभ के लिए प्रतीत होता है जहां पुरस्कार विद्यमान है क्योंकि कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है और बहुमत के संबंध में मुआवजा दिया गया है। लाभुकों के खाते में जमीन का पैसा जमा नहीं किया गया है. परंतुक की भाषा में धारा 24(2) में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें कहा गया है कि यदि पुरस्कार पांच वर्ष या पांच वर्ष से अधिक पुराना है, लेकिन भौतिक कब्जा है तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। कानून घिसा-पिटा है कि जब मुख्य अधिनियम स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो एक परंतुक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, जिससे कि स्पष्ट रूप से इसकी स्पष्ट शर्तों के अंतर्गत आने वाली बातों को मुख्य अधिनियम से

बाहर रखा जा सके, जैसा कि मद्रास और दक्षिणी महरत्ता रेलवे में प्रिवी काउंसिल द्वारा माना गया है। कंपनी लिमिटेड बनाम बेजवाड़ा नगर पालिका [(1943-44) 71 आईए 113: (1944) 57 एलडब्ल्यू 422: एआईआर 1944 पीसी 71] और इस न्यायालय द्वारा सीआईटी बनाम इंडो मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड में । [एआईआर 1959 एससी 713]।

15. ऊपर की गई चर्चाओं से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव है कि अधिग्रहण के तहत अधिकांश भूमि जोत के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है या नहीं, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं की भूमि का भौतिक कब्ज़ा है विचाराधीन इन अपीलों पर राज्य या उसकी ओर से किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है और दिनांक 30-11-2006 और 1-1-2014 को जब 2013 अधिनियम आया था, तब से पांच साल से अधिक समय बीत चुका है। बल में। इसलिए, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) में उल्लिखित शर्तें अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने के लिए संतुष्ट हैं कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के संदर्भ में समाप्त माना जाना चाहिए। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि तमिलनाडु सरकार स्वतंत्र होगी, यदि वह 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस तरह की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करना चाहती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।" यह निर्णय तब से इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र , (2018) 3 एससीसी 412, 551 ["इंदौर विकास प्राधिकरण"] के मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों के फैसले से परेशान हो गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण (सुप्रा) के फैसले को दिनांक 22.02.2018 के आदेश द्वारा पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया गया है।

17. इन सभी कारणों से, यह बेहतर होगा कि इस फैसले को भी उसी बेंच को भेजा जाए जो इंदौर विकास प्राधिकरण (सुप्रा) की नए सिरे से सुनवाई कर रही है, क्योंकि वह मामला भी उसी प्रावधान के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करता है, अर्थात् धारा 24 2013 अधिनियम के. इन सभी कारणों से, हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाम तरुण पाल सिंह, (2018) 14 एससीसी 161 को पुनर्विचार के लिए उपरोक्त बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध करते हैं।

(आरएफ नरीमन) .....जे।

(विनीत सरन) .....जे.

नई दिल्ली;

27 फरवरी 2019

[i] देखें ईरा (डॉ. मंजुला क्रिपेंडोर्फ के माध्यम से) बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य। (2017) 15 एससीसी 133 पैरा 115 पर

प्रमोद कुमार

Format 1

NAME OF THE HIGH COURT: The High Court of judicature at Patna.

S.No	Name of Judicial officer	Citation of the original English e-SCR Judgment	Cause Title	Case No.	Date of Judgement	No. of pages (of original English e-SCR judgment) translated
1	Pramod Kumar	(2019) 4 S.C.R. 469	DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY v. VIRENDER LAL BAHRI & ORS.	(SLP (C) No. 37375 of 2016)	FEBRUARY 27, 2019	18

CERTIFICATE

NAME OF THE HIGH COURT- The High Court of judicature at Patna.

SI. NO	Name of the Judicial officer	Bank Details	Citation of the original English e-SCR Judgment	Cause title	Case No.	Date of the Judgment	Total number of pages of e-SCR judgments translated /validated /corrected by the Translator Judicial officer	
1	**Pramod Kumar**	**UCO BANK A/C-18940110024058** **IFSC CODE-UCBA0001894** **PAN NO-HOZPK8239D**	**(2019) 4 S.C.R. 469**	**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY v. VIRENDER LAL BAHRI & ORS.**	**(SLP (C) No. 37375 of 2016)**	**FEBRUARY 27, 2019**	**18**	

This is to certify that the above information is true and correct. The payment can be made to judicial officer as calculated above.

(Name and Signature of the member Secretary of the AI Assisted Legal Translation Advisory Committee, High Court of Patna)

Mobile No.

Email-